

प्रेषक,

अपर सचिव/अधिशाली निदेशक
राज्य महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तराखण्ड।

महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग: देहरादून: दिनांक: जून 26, 2020

विषय : महात्मा गांधी नरेगान्तर्गत NRLM-SHG के माध्यम से ग्रामीणों से कार्य की मांग प्राप्त करने
विषयक।


महोदय,

कृपया अपर मुख्य सचिव महोदय, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 33 दिनांक 8 मई 2020 तथा अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 105 दिनांक 4 जून 2020 द्वारा महात्मा गांधी नरेगान्तर्गत NRLM-SHG के माध्यम से ग्रामीणों से कार्य की मांग प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर सूचना चाही गई थी परन्तु जनपद बागेश्वर, चमोली, देहरादून, हरिद्वार एवं रुद्रप्रयाग द्वारा आतिथि तक भी उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है।

उक्त के अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा अपेक्षा की गई है कि योजनान्तर्गत NRLM-SHG के माध्यम से ग्रामीणों से कार्य की मांग हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।


अतः अनुरोध है कि अपर मुख्य सचिव महोदय की अपेक्षानुरूप समस्त जनपद महात्मा गांधी नरेगान्तर्गत NRLM-SHG के माध्यम से ग्रामीणों से कार्य की मांग हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या तथा उपरोक्त उल्लिखित जनपद NRLM-SHG के माध्यम से ग्रामीणों से कार्य की मांग प्राप्त करने हेतु स्वयं सहायता समूहों का चयन कर वांछित सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय को दिनांक 30 जून 2020 तक ई-मेल mgnregauk2017@gmail.com के माध्यम से अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय


(उदय राज सिंह)
अपर सचिव/अधिशाली निदेशक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को महोदय के अवलोकनार्थ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।


(उदय राज सिंह)
अपर सचिव/अधिशाली निदेशक